



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 22 अक्टूबर, 2014

आश्विन 30, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-13

संख्या 797/एक-13-2014-5क(25)-2013टी०सी०

लखनऊ, 22 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

विविध

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 30 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के क्रम-संख्या 2 के सम्मुख दिये गये स्तम्भ (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली किसी भूमि की दशा में, शहरी क्षेत्र से परियोजना की किसी दूरी के होते हुए भी 2.00 (दो) को उस कारक के रूप में अधिसूचित करते हैं। जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 797/I-13-2014-5ka(25)-2013T.C., dated October 22, 2014:

No. 797/I-13-2014-5ka(25)-2013T.C.

Dated Lucknow, October 22, 2014

In exercise of the powers under Column (3) appearing against serial no. 2 of the First Schedule to the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) read with sub-section (2) of section 30 of the said Act, the Governor is pleased to notify the 2.00 (Two) as the factor by which the market value is to be multiplied in the case of any land to be acquired in rural areas of Uttar Pradesh notwithstanding any distance of project from urban area.

By order,

SURESH CHANDRA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 410 राजपत्र (हि०)-2014-(1003)-588 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 16 सा० राजस्व-2014-(1020)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-13
संख्या-797/एक-13-2014-5क(25)/2013टी0सी0
लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

विविध

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रातिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(अधिनियम संख्या-30, सन 2013) की धारा 30 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या-2 के सम्मुख दिये गये स्तम्भ (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अर्जित की जाने वाली किसी भूमि की दशा में, शहरी क्षेत्र में परियोजना की किसी दूरी के होते हुए भी 2.00(दो) को उस का मूल्य के रूप में अधिसूचित करते हैं जिसके द्वारा बाजार मूल्य निर्णित किया जाना है।

आज्ञा रा,
(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव

Uttar Pradesh Shasan

Rajaswa Anubhag-13

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.797/1-13-2014-5ka(25)/2013T.C., dated October 22, 2014

NOTIFICATION


Miscellaneous

NO 797 /1-13-2014-5ka(25) /2013 T.C.

Dated Lucknow October 22, 2014

In exercise of the powers under Column (3) appearing against serial no.2 of the First Schedule to the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), read with sub section (2) of section 30 of the said Act, the Governor is pleased to notify the 2.00 (Two) as the factor by which the market value is to be multiplied in the case of any land to be acquired in rural areas of Uttar Pradesh, not with standing any distance of project from urban area.

By order,


(Suresh Chandra)
Pramukh Sachiv